"बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी. 2-22-छत्तीसगढ़ गजट/38 सि. से. भिलाई, दिनांक 30-5-2001."

पंजीयन क्रमांक
"छत्तीसगढ़/दुर्ग/09/2010-2012."

छत्तीसगढ़ राजपत्र

(असाधारण)
प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 135] रायपुर, शुक्रवार, दिनांक 30 अप्रैल 2010—वैशाख 10, शक 1932

गृह (सामान्य) विभाग
मंत्रालय, दाऊ कल्याण सिंह भवन, रायपुर

रायपुर, दिनांक 30 अप्रैल 2010

अधिसूचना

क्रमांक एफ 07-02/गृह-दो/जन./2010.—एतद्द्वारा सामान्य जानकारी के लिए राज्य सरकार के द्वारा जनगणना नियम, 1990 के नियम 8 (i) (a) के अनुसरण में केन्द्र सरकार की अधिसूचना क्रमांक का. आ. 518 (अ), दिनांक 25 फरवरी, 2010 निम्नानुसार पुन: प्रकाशित की जाती है :—

गृह मंत्रालय
भारत के महारजिस्ट्रार का कार्यालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 25 फरवरी 2010

का. आ. 518 (अ).— केन्द्रीय सरकार, जनगणना अधिनियम, 1948 (1948 का 37) की धारा 8 की उप-धारा (1) के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्र सरकार एतद्द्वारा अनुदेश देती है कि सभी जनगणना अधिकारी उनकी नियुक्ति से संबंधित स्थानीय क्षेत्रों की सीमाओं के भीतर भारत की जनगणना 2011 के संबंध में मकानसूचीकरण तथा मकानों की गणना अनुसूचियों के माध्यम से जानकारी एकत्र करने के लिए नीचे उल्लिखित मदों के संबंध में सभी व्यक्तियों से इस प्रकार के प्रश्न पूछें, अर्थात् :—

1. भवन नम्बर (नगर अथवा स्थानीय प्राधिकरण अथवा जनगणना नम्बर)
2. जनगणना मकान नम्बर

3. जनगणना मकान के फर्श, दीवार तथा छत में प्रयुक्त प्रमुख सामग्री
4. जनगणना मकान के उपयोग का पता लगाएं
5. जनगणना मकान की हालत
6. परिवार क्रमांक
7. इस परिवार में सामान्यत: रहने वाले व्यक्तियों की कुल संख्या:
   (i) व्यक्ति
   (ii) पुरुष
   (iii) स्त्री
8. परिवार के मुखिया का नाम
9. लिंग
10. यदि अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य से संबंधित हों
11. इस मकान के स्वामित्व की स्थिति
12. इस परिवार के पास रहने के लिए उपलब्ध कमरों की संख्या
13. परिवार में रहने वाले विवाहित दम्पत्तियों की संख्या
14. पेयजल का मुख्य स्रोत
15. पेयजल स्रोत की उपलब्धता
16. प्रकाश का मुख्य स्रोत
17. परिसर के भीतर शौचालय
18. शौचालय की सुविधा का प्रकार
19. गन्दे पानी की निकासी
20. स्नानगृह की सुविधा
21. रसोई घर
22. खाना पकाने के लिए प्रयुक्त ईंधन
23. रेडियो/ट्रांजिस्टर
24. टेलीविजन
25. कम्प्यूटर/लैपटॉप
26. टेलीफोन/मोबाइल फोन
27. साइकिल
28. स्कूटर/मोटर साइकिल/मोपेड
29. कार/जीप/वैन
30. बैंकिंग सेवा का उपयोग कर रहे हैं.

टिप्पणी : मद सं. 1 से 5 भवन के विवरणों से, मद सं. 6 से 7 परिवार के विवरणों (पूर्णत: अथवा अंशत: आवासीय उपयोग में लाए गए जनगणना मकान के लिए) से, मद सं. 8 से 10 परिवार के मुखिया से और मद सं. 9 से 30 केवल सामान्य परिवार से संबंधित है.

[फा. सं. 9/7/2009-सीडी (सेन)]
च. चन्द्रमौलि, भारत के महारजिस्ट्रार एवं जनगणना आयुक्त

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
दुर्गेश चन्द्र मिश्रा, सचिव.

रायपुर, दिनांक 30 अप्रैल 2010

क्रमांक एफ 07-02/गृह-दो/जन./2010.—भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में, इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ 07-02/गृह-दो/जन./2010, दिनांक 30-04-2010 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
दुर्गेश चन्द्र मिश्रा, सचिव.

Raipur, the 30th April 2010

NOTIFICATION

No. F-07-02/Home-2/Census/2010.—In pursuance of rule 8 (i) (a) of Census Rules, 1990, the State Government hereby republishes the Notification No. S. O. 518 (E) dated 25 February, 2010 of the Central Government for general information as follows :—

MINISTRY OF HOME AFFAIRS
(Office of the Registrar General, India)

NOTIFICATION

New Delhi, the 25th February 2010

S. O. 518 (E).—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of Section 8 of the Census Act, 1948 (37 of 1948), the Central Government hereby instructs that all Census Officers may, within the limits of the local areas for which they have been respectively appointed, ask all such questions from all persons on the items enumerated below for collecting information through the Houselisting and Housing Census Schedules in connection with the Census of India 2011, namely :-

1. Building number (Municipal or local authority or census number)
2. Census House number
3. Predominant material of floor, wall and roof of the census house.
4. Ascertain the use of census house
5. Condition of the census house
6. Household Number
7. Total number of persons normally residing in the household :
   (i) Persons
   (ii) Males
   (iii) Females
8. Name of the head of the household
9. Sex
10. If Scheduled Caste/Scheduled Tribe/Others
11. Ownership status of the house
12. Number of dwelling rooms exclusively in possession of the household
13. Number of married couple(s) living in the household
14. Main source of drinking water
15. Availability of drinking water source
16. Main source of lighting
17. Latrine within the premises
18. Type of latrine facility
19. Waste water outlet
20. Bathing facility
21. Kitchen
22. Fule used for cooking
23. Radio/Transistor
24. Television
25. Computer/Laptop
26. Telephone/Mobile phone
27. Bicycle
28. Scooter/Motor Cycle/Moped
29. Car/Jeep/Van

30. Availing banking services

Note : Items 1 to 5 relate to Building particulars, items 6 to 7 relate to Household particulars (for census house used wholly or partly as a residence), items 8 to 10 relate to Head of the Household, and items 9 to 30 relate only to Normal Households.

[F. No. 9/7/2009-CD (CEN)]
C. CHANDRAMOULI, Registrar General
and Census Commissioner, India.

By order and in the name of the Governor of Chhattisgarh,
DURGESH CHANDRA MISHRA, Secretary.

संचालक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, छत्तीसगढ़ द्वारा शासकीय क्षेत्रीय मुद्रणालय, राजनांदगांव से मुद्रित तथा प्रकाशित—2010.